

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2947/2026

Harshvardhan S/o Chhogalal, Aged About 19 Years, R/o Meghwalo Ka Bas, Mada, Ps Sadri, District Pali, Presently R/o Nanihal Mundara, Ps Sadri, District Pali, Rajasthan (Presently Lodged At District Jail Rajsamand)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Sunder Devi W/o Shri Banshi Lal, Aged About 41 Years, R/o Amet, Ps Amet, District Rajsamand, Rajasthan

----Respondents

For Petitioner(s) : Moh. Rasheed

For Respondent(s) : Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. अप्रार्थी संख्या 2 पर नोटिस की तामील हो चुकी है।
02. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना आमेत जिला राजसमन्द में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 140/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64(2)(m)(i) भारतीय न्याय संहिता व धारा 5(l)6 पोक्सो अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
03. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
04. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में अरापे पत्र पेश किया जा चुका है। पीड़िता के बयान न्यायालय में हो चुके हैं जिसके मुताबिक पीड़िता व प्रार्थी-अभियुक्त एक दूसरे से प्यार करते थे। प्रार्थी-अभियुक्त पीड़िता द्वारा बुलाने पर पीड़िता को साथ लेकर गया था, जबरदस्ती नहीं की थी। पीड़िता ने जिरह में यह कहा है कि हर्षवर्धन ने पीड़िता के साथ कोई खोटा काम या बलात्कार नहीं किया। 6-7 महीने प्रार्थी-अभियुक्त के साथ रहना बताया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
06. जमानत आवेदन पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। पीड़िता ने अपने बयान में 6-7 महीने प्रार्थी-अभियुक्त के साथ रहना व एक दूसरे से प्यार करना बताया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
07. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।
08. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **हर्षवर्धन पुत्र छोगालाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J